



शीर्षक:—जनपद एटा में मथुरा—सादाबाद—जलेसर—अवागढ़ मार्ग (S.H.—122 NEW) किमी. 70 (चैनेज —69.411) के खसरा संख्या 1378 स, ग्राम जलेसर बहार चुंगी, तहसील जलेसर की बायीं पटरी पर (बी.पी.सी.एल.) मथुरा द्वारा न्यू रिटेल आउट—लेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0486790 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या:—एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/...../2021

दिनांक:—09/04/2021

Page No.

मानक शर्तें

- (वन अनुभाग—3 उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या—7314/14—3—1980/02, दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)
- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और पूर्व की भौतिक संरक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
- प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जायं मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि नहीं है।
- हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन विभाग भूमि को किसी भी प्रकार क्षति नहीं पहुँचायेगा और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वन अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देखरेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा।
- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन्य जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
- सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग कर्मचारियों को निशुल्क जल सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
- सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर “एलाइनमेन्ट” तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श “ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण” द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र सं० 608/सी दिनांक 10.02.1982 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूलीफर बदलकर पक्का करना होगा। वशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
- वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगी जो याचक विभाग को मान्य होगा।
- वनभूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

डा. 1. इंडस्ट्रियल एरिया, माइंट-वी, पोस्ट-मथुरा रिफाइनरी, मथुरा-281 005 (उ.प्र.) दूरभाष : 0565-2480007, 2480070, 2480008, 2480529 फैक्स : 91-0565-2480208
रजिस्टर्ड ऑफिस : भारत भवन, 4-6, करीमभाँव रोड, बैलार्ड एस्टेट, पोस्ट बॉक्स सं० 688, मुम्बई - 400 001

D-1 U.P.S.I.D.C., Industrial Area, Site 'B', P.O. Mathura Refinery, Mathura-281005 (U.P.) Tel. : 0565-2480007, 2480070, 2480008, 2480529 Fax : 91-565-2480208
Registered Office : Bharat Bhawan, 4 & 6, Currimbhoy Road, Ballard Estate, P.B. No. 688, Mumbai - 400 001
CIN No. : 123220MH1952GCL000934

प्रतिम भट्टाचार्य
प्रमुख प्रमुख (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पॉइन्ट-1, रोड नं० 20, इंडस्ट्रियल एरिया, मथुरा
पिन-281005-मथुरा रिफाइनरी, मथुरा-



शीर्षक:—जनपद एटा में मथुरा—सादाबाद—जलेसर—अवागढ़ मार्ग (S.H.—122 NEW) किमी. 70 (चैनेज —69.411) के खसरा संख्या 1378 स, ग्राम जलेसर बहार चुंगी, तहसील जलेसर की बायीं पटरी पर (बी.पी.सी.एल.) मथुरा द्वारा न्यू रिटेल आउट—लेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0486790 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या:—एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/...../2021

दिनांक: 09/04/2021

Page No.

14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर 10 पेड़ का रोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जाये का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मी0 एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निविद्ध है। इसी प्रकारण ब्रॉज (OAK) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन संरक्षण स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-रक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों का पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, जो ऐसा याचक जाने व्यय करेगा।
17. ऊपर लिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका सूचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

मैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मथुरा का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता है कि उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य हैं। अतः उनका अनुपालन किया जायेगा।

स्थान :— मथुरा

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सुप्रतिम, सादाबाद, जलेसर
09/04/2021
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
प्लॉट-बी-1, रोड नं 20, इंडस्ट्रियल एरिया, माडरन
मथुरा-281005